भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3411
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए डेटाबेस

3411. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विदेशों में भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए एक निर्दिष्ट और समय-समय पर अद्यतन किया जाने वाला राज्य-वार डेटाबेस है;

(ख) यदि हों, तो तेलंगाना के लिए लिंग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेलंगाना के प्रवासी कामगारों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रवासी कामगारों के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र और उसके संचालन तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) और **(ख)** मंत्रालय ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से उन भारतीय कामगारों के आंकड़े रखता है**,** जिनके पास उत्प्रवास जाँच अपेक्षित **(**ईसीआर**)** पासपोर्ट हैं और जो **18** अधिसूचित ईसीआर श्रेणी के देशों में से किसी में भी रोज़गार के लिए जा रहे हैं। पिछले पाँच वर्षों **(**जनवरी **2020** से जून **2025)** में दी गई उत्प्रवास मंज़ूरियों **(**ईसी**)** की संख्या का राज्यवार आंकड़ा अनुबंध**-I** में दिया गया है। तेलंगाना राज्य के संबंध में जारी की गई उत्प्रवास मंज़ूरियों के लिंग**-**वार आंकड़े अनुबंध**-II** में दिया गया है।

(ग) और **(घ)** भारत सरकार विदेशों में भारतीय कामगारों**,** जिनमें तेलंगाना के कामगार भी शामिल हैं**,** की सुरक्षा**,** संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर उन्हें दूतावास**/**कोंसलावास तक पहुँचने में सक्षम बनाने के लिए स्थापित चैनल मौजूद हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से**,** ईमेल**,** बहुभाषी **24x7** आपातकालीन नंबरों**,** व्हाट्सएप नंबर**,** मदद**/**सीपीजीआरएएमएस**/**ईमाइग्रेट जैसे शिकायत निवारण पोर्टल और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दूतावास**/**कोंसलावास से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे मामलों के निपटान के लिए समर्पित श्रम शाखाएँ हैं। भारतीय कामगारों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई

दिल्ली, दुबई, रियाद, जेद्दा और कुआलालंपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

भारतीय नागरिकों, जिनमें श्रमिक भी शामिल हैं, से कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर, दूतावास/कोंसलावास सक्रिय रूप से संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के समक्ष इसे उठाता है और यदि आवश्यक हो, तो पीड़ित श्रमिक के कार्यस्थल का भी दौरा किया जाता है। इन मुद्दों को स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी निवारण हेतु उठाया जाता है।

भारतीय मिशन/केंद्र दूरदराज के इलाकों में रहने वाले भारतीय कामगारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनकी शिकायतों, यदि कोई हो, का समाधान करने के लिए नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली कैंप आयोजित करते हैं। प्रवासी की ओर से या उनसे कोई शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के साथ मामले को सक्रिय रूप से उठाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर पीड़ित कर्मचारी के कार्यस्थल का भी दौरा किया जाता है। रोजगार संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए मेजबान देश के स्थानीय श्रम विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी इसे उठाया जाता है।

इसके अलावा, घरेलू क्षेत्र की महिला कामगारों की सुरक्षा और संरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, सरकार ने केवल सरकार द्वारा संचालित भर्ती एजेंसियों (आरए) को ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से खाड़ी और अन्य अधिसूचित ईसीआर देशों में विदेशी रोज़गार के लिए ईसीआर श्रेणी की पासपोर्ट धारक भारतीय महिला कामगारों की भर्ती के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, शोषण से सुरक्षा के लिए विदेशी रोज़गार हेतु ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक महिला कामगारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा **30** वर्ष निर्धारित की गई है।

दूतावास/कोंसलावास समय-समय पर संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को योग्य मामलों में वित्तीय और विधिक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का भी उपयोग करता है। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत, मुख्य सहायता में भोजन एवं आवास, भारत के लिए हवाई यात्रा, विधिक सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर को भारत लाना, और छोटे-मोटे जुर्माने और दंड का भुगतान शामिल है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई ईसी की कुल संख्या (01/01/2020 से 30/06/3035 तक) - राज्यवार							
राज्य	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**कुल**
अंडमान एवं निकोबार	2		11	5	25	1	44
आंध्र प्रदेश	3,882	5,482	19,347	16,387	16,615	9,604	71,317
अरुणाचल प्रदेश		1	3	4	6	5	19
असम	566	395	3,594	3,451	3,095	1,814	12,915
बिहार	13,911	24,527	60,945	67,548	72,523	44,750	284,204
चंडीगढ़	30	45	346	252	197	83	953
छत्तीसगढ	33	24	126	113	140	71	507
दादरा एवं नागर हवेली	2		3	7	2	1	15
दमन और दीव	11	9	16	31	19	20	106
दिल्ली	388	508	1,569	1,575	1,505	945	6,490
गोवा	105	262	622	420	374	218	2,001
गुजरात	1,494	1,583	3,438	3,825	4,212	2,414	16,966
हरियाणा	314	459	1,232	1,326	1,354	904	5,589
हिमाचल प्रदेश	115	145	414	437	389	200	1,700
जम्मू एवं कश्मीर	1,095	992	4,868	5,264	4,322	2,411	18,952
झारखंड	831	1,481	4,322	4,326	4,760	2,824	18,544
कर्नाटक	1,476	2,143	5,700	6,209	5,811	3,361	24,700
केरल	8,487	10,560	16,253	18,469	16,653	7,300	77,722

लद्दाख				1	3	2	6
लक्षद्वीप			2	3	1	4	10
मध्य प्रदेश	220	232	1,367	1,335	1,136	658	4,948
महाराष्ट्र	2,592	2,828	6,846	7,559	6,365	3,590	29,780
मणिपुर	4	9	13	24	63	29	142
मेघालय	3	3	11	11	7	5	40
मिजोरम				2	1		3
नागालैंड	1	4	2	3	5	2	17
ओडिशा	2,199	4,179	6,726	6,691	5,952	2,543	28,290
पुदुचेरी	75	123	318	386	326	140	1,368
पंजाब	3,317	5,983	10,654	11,505	12,575	8,609	52,643
राजस्थान	6,126	11,345	28,819	24,441	26,050	15,003	111,784
सिक्किम	1		4	5	5	6	21
तमिलनाडु	6,476	8,830	23,556	27,010	21,219	9,528	96,619
तेलंगाना	2,984	4,375	11,990	10,372	9,850	5,642	45,213
त्रिपुरा	248	145	1,197	1,401	1,139	693	4,823
उत्तर प्रदेश	28,911	35,222	123,697	142,547	138,266	81,030	549,673
उत्तराखंड	821	864	3,627	3,744	3,239	1,566	13,861
पश्चिम बंगाल	7,425	9,917	31,788	31,628	28,863	15,358	124,979
कुल	**94,145**	**1,32,675**	**3,73,426**	**3,98,317**	**3,87,067**	**2,21,334**	**16,06,964**

अनुबंध- **II**

01/01/2020 से 30/06/2025 की अवधि के लिए तेलंगाना के लिए दी गई लिंग-वार कुल ईसी की संख्या		
वर्ष	लिंग	ईसी गणना
2020	महिला	71
	पुरुष	2913
2021	महिला	120
	पुरुष	4255
2022	महिला	200
	पुरुष	11790
2023	महिला	221
	पुरुष	10151
2024	महिला	187
	पुरुष	9663
2025	महिला	76
	पुरुष	5566
	कुल	**45213**

*****